

न्यायालय-श्रीष कैलाश शुक्ल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर
जिला-बालाघाट, (म.प्र.)

आप.प्रक.कमांक-1475 / 2004

संस्थित दिनांक-17.12.2004

फाईलिंग क.234503000202004

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र-बिरसा

जिला-बालाघाट (म.प्र.)

अभियोजन

// विरुद्ध //

1-गौतम सूर्यवंशी पिता भोंदूलाल सूर्यवंशी, उम्र-58 वर्ष,
निवासी-ग्राम मजगांव, पुलिस चौकी सालेटेकरी, थाना बिरसा,
जिला बालाघाट (म.प्र.)

2-सरिताबाई पिता गौतम सूर्यवंशी, उम्र-54 वर्ष,
निवासी-ग्राम मजगांव, पुलिस चौकी सालेटेकरी, थाना बिरसा,
जिला बालाघाट (म.प्र.)

3-भरतलाल सूर्यवंशी पिता भोंदूलाल सूर्यवंशी, उम्र-56 वर्ष,
निवासी-ग्राम मजगांव, पुलिस चौकी सालेटेकरी, थाना बिरसा,
जिला बालाघाट (म.प्र.)

आरोपीगण

// निर्णय //

(आज दिनांक-18/07/2016 को घोषित)

1- आरोपीगण के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा-498 ए, 325 एवं सहपठित धारा-34 एवं धारा-4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत आरोप है कि उन्होंने दिनांक-08.08.2004 के पश्चात् थाना बिरसा अंतर्गत ग्राम मजगांव में स्वयं के मकान में फरियादी प्रभा सूर्यवंशी के पति एवं नातेदार होते हुए, अन्य आरोपीगण के साथ एक राय होकर फरियादी को उसके मायके से 50,000/-रुपये लाना कहकर परेशान किया, मारपीट कर उसके रिंग फिंगर की अस्थिभंग कर तलाक देने की धमकी देकर शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित कर कूरता कारित की। फरियादी प्रभाबाई को उसके माता-पिता से 50,000/-रुपये की मांग दहेज के रूप में की। फरियादी प्रभाबाई को

उपहति कारित करने के आशय से अन्य आरोपी के साथ एक राय होकर मारपीट कर उसके रिंग फिंगर की अस्थिभंग कर स्वेच्छया घोर उपहति कारित की।

2— अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादी प्रभा सूर्यवंशी ने दिनांक 14.04.2004 को पुलिस थाना बिरसा आकर यह रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसका विवाह आरोपी भरतलाल सूर्यवंशी के साथ 08 अगस्त 2003 को हुआ था। विवाह के पश्चात से वह उसके ससुराल ग्राम मझगांव में रहती है। कुछ दिन विवाह के पश्चात से उसका पति दहेज की मांग को लेकर उसे प्रताड़ित करने लगा। जेठ गौतम सूर्यवंशी एवं जेठानी सरिताबाई उससे मारपीट करने लगे। आरोपीगण उसे खाने-पीने के लिये तंग करने लगे और उसके साथ मारपीट करने लगे। दिनांक 28.02.2004 को उसके पति ने उससे कहा कि 50 हजार रुपये अपने मायके से लेकर आना तभी वह उसे अपने साथ रखेगा, जिसके संबंध में उसने अपनी माँ एवं पिता को बताया तब उसकी माँ उसे अपने साथ लेकर बालाघाट चली गई परन्तु पुनः दिनांक 17.03.2004 को वह अपने पति के पास गई परन्तु उसके बाद भी आरोपी उसे दहेज के लिये प्रताड़ित करने लगा। फरियादी की रिपोर्ट के आधार पर आरक्षी केन्द्र बिरसा में आरोपीगण के विरुद्ध अपराध क्रमांक-27/04, भारतीय दण्ड संहिता की धारा-498ए, 325 एवं सहपठित धारा-34 एवं धारा-4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम का अपराध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई। पुलिस द्वारा विवेचना के दौरान घटना स्थल का नजरी नक्शा तैयार किया गया। पुलिस द्वारा गवाहों के कथन लिये गये। आरोपीगण को गिरफ्तार कर सम्पूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

3— आरोपीगण को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-498(ए), 325 एवं धारा-4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अंतर्गत आरोप पत्र तैयार कर पढ़कर सुनाए व समझाए जाने पर उन्होंने जुर्म अस्वीकार किया एवं विचारण का दावा किया है। फरियादी एवं आरोपीगण के मध्य राजीनामा हो जाने से धारा 325 भा0द0वि0 के अपराध के आरोप से आरोपीगण को दोषमुक्त किया गया है। शेष धारायें शमनीय प्रकृति की न होने से उनका विचारण किया जा रहा है। आरोपीगण ने धारा-313 द.प्र.सं. के अंतर्गत अभियुक्त कथन में स्वयं को निर्दोष होना एवं झूठा फंसाया जाना व्यक्त किया है। आरोपीगण द्वारा प्रतिरक्षा में बचाव साक्ष्य देना व्यक्त किया परन्तु बचाव साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की।

4- प्रकरण के निराकरण हेतु निम्नलिखित विचारणीय बिन्दु यह है कि:-

1. क्या दिनांक-08.08.2004 के पश्चात् थाना बिरसा अंतर्गत ग्राम मजगांव में स्वयं के मकान में फरियादी प्रभा सूर्यवंशी के पति एवं नातेदार होते हुए, अन्य आरोपीगण के साथ एक राय होकर फरियादी को उसके मायके से 50,000/-रूपये दहेज की मांग की ?
2. क्या आरोपीगण ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर फरियादी प्रभाबाई को उसके माता-पिता से 50,000/-रूपये की मांग दहेज के रूप में किया एवं फरियादी प्रभाबाई को उपहति कारित करने के आशय से अन्य आरोपी के साथ एक राय होकर मारपीट कर उसके रिंग फिंगर की अस्थिभंग कर स्वेच्छया घोर उपहति कारित की

विचारणीय बिन्दु कमांक-1 एवं 2 का निष्कर्ष :-

5- अभियोजन साक्षी प्रभा सूर्यवंशी अ.सा.1 ने अपने कथन में कहा है कि वह आरोपीगण को जानती है, आरोपी भरतलाल उसका पति है, आरोपी गौतम उसका जेठ एवं सरिता उसकी जेठानी है। उसका विवाह आरोपी भरतलाल से 08 अगस्त 2003 को हुआ था। आरोपी विवाह के दो-तीन माह ठीक से रखने के पश्चात से दहेज की मांग को लेकर उसे मारपीट कर प्रताड़ित करता था। सभी आरोपीगण द्वारा उसके साथ मारपीट की गई जिसके कारण उसके हाथ की उंगली में अस्थिभंग हुआ था। उसने दिनांक 28.02.2004 को थाना सालेटेकरी में आरोपीगण के विरुद्ध रिपोर्ट की थी। आरोपी ने उसकी माँ को कहा कि वह फरियादी को लेकर के चले जाये। आरोपी ने पवन मेश्राम नामक महिला को अपने घर में लाकर रख लिया और उसे परेशान करने लगा। आरोपीगण द्वारा की गई मारपीट के कारण वह जिला चिकित्सालय बालघाट में भी भर्ती रही थी। उसने घटना की रिपोर्ट थाना बिरसा में दर्ज कराई थी जो कि प्र.पी. 01 है जिसके अ से अ भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसने इस संबंध में लिखित शिकायत प्र.पी.02 प्रस्तुत की थी, जिसके अ से अ भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने उसके विवाह के संबंध में ली गई फोटो प्र.पी.03 जप्त की थी एवं उसके द्वारा उसके पिता को लिखी गई चिट्ठी/पत्र प्र.पी.04 है जिसके अ से अ भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। आरोपी से उसके तलाकनामा की फोटोकापी जप्त की थी जो प्र.पी.06 है जिसके अ से अ भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसने थाना सालेटेकरी में प्र.पी.07 की रिपोर्ट दर्ज

कराई थी जिसके अ से अ भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने उसका लिखावट का नमूना प्र.पी.8 लिया था जिसके अ से अ भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। इस संबंध में बनाया गया जप्तीनामा प्र.पी.09 है जिसपर उसके हस्ताक्षर हैं। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया है कि उसका आरोपी भरतलाल से द्वितीय विवाह है। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि पूर्व में उसका विवाह जितेन्द्र डोंगरे से हुआ था जिसके विरुद्ध उसने दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के अंतर्गत आवेदन प्रस्तुत किया था। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि उसके पूर्व पति के विरुद्ध उसने भारतीय दण्ड संहिता की धारा 498ए के अंतर्गत मामला दर्ज कराया था। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया है कि वह पेशे से अधिवक्ता है। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने बचाव पक्ष के इस सुझाव को स्वीकार किया है कि वह पवन सूर्यवंशी के विषय में यह जानती थी कि वह आरोपी भरतलाल की पत्नी है। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि उसका उसके पति से किसी न्यायालय द्वारा पारित आदेश के माध्यम से तलाक नहीं हुआ है। बचाव पक्ष के इस सुझाव से साक्षी ने इंकार किया है कि आरोपी ने उससे कभी भी दहेज की मांग नहीं की है। बचाव पक्ष के इस सुझाव से साक्षी ने इंकार किया है कि उसने अधिवक्ता होने का लाभ लेकर आरोपीगण के विरुद्ध झूठी रिपोर्ट दर्ज कराई थी।

6— अभियोजन साक्षी अंजूलताबाई अ.सा.2 ने अपने कथन में कहा है कि वह आरोपीगण को जानती है। आरोपी भरतलाल उसका दामाद है तथा शेष आरोपीगण आरोपी भरतलाल के रिश्तेदार हैं। उसकी पुत्री प्रभा का विवाह आरोपी भरतलाल से वर्ष 2003 में हुआ था। बाद में आरोपी उसकी पुत्री को 50 हजार रुपये दहेज की मांग को लेकर प्रताड़ित करने लगा। उसकी पुत्री ने इस संबंध में उसे पत्र लिखा और बताया था कि उससे आरोपी 50 हजार रुपये की मांग कर रहा है। वह अपनी पुत्री के घर गई थी तब आरोपी ने उसके सामने उसकी पुत्री से मारपीट की थी। पुलिस ने उसकी पुत्री से आर्टिकल ए-2 के छायाचित्र जप्त किये थे। अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने स्वीकार किया है कि उसकी पुत्री से कागज प्र.पी.04 उसके सामने ही जप्त किया था। तलाकनामा की फोटोप्रति एव लिखित कथन प्र.पी.06 के अनुसार जप्त किया गया था। शेष जप्ती की कार्यवाही के दस्तावेजों की कार्यवाही को भी साक्षी ने स्वीकार किया है। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया है कि उसकी पुत्री का प्रथम विवाह जितेन्द्र नामक व्यक्ति से हुआ था। यह भी स्वीकार किया है कि

भरणपोषण का मामला जितेन्द्र डोंगरे के विरुद्ध चला था। बचाव पक्ष के इस सुझाव से साक्षी ने इंकार किया है कि आरोपी भरतलाल शासकीय सेवा में है और धनी व्यक्ति होने से उसने अपनी पुत्री से मिलकर आरोपी के विरुद्ध झूठी रिपोर्ट दर्ज कराई थी। साक्षी ने स्वीकार किया है कि आरोपी भरतलाल 2000/- रुपये उसकी पुत्री को भरणपोषण की राशि भुगतान कर रहा है। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि उसकी पुत्री पेशे से अधिवक्ता है। बचाव पक्ष के इस सुझाव से साक्षी ने इंकार किया है कि आरोपीगण 50 हजार रुपये की मांग को लेकर उसकी पुत्री को मारपीट कर प्रताड़ित करते थे।

7— अभियोजन साक्षी इश्वरदास अ.सा.03 ने अपने कथन में कहा है कि वह आरोपी भरतलाल को जानता है, आरोपी भरतलाल उसका दामाद है। शेष आरोपीगण उसके दामाद के रिश्तेदार हैं। फरियादी प्रभाबाई उसकी पुत्री हैं जिसका विवाह अगस्त 2003 में हुआ था। विवाह के पश्चात से आरोपी उसकी पुत्री को 50 हजार रुपये दहेज की मांग को लेकर प्रताड़ित करता था। उसने जेवर देकर अपनी पुत्री को ससुराल भेजा था परन्तु उसकी पुत्री को आरोपी ने 50 हजार रुपये की मांग को लेकर मारपीट किया था जिसके संबंध में उसने पत्र लिखा था जो दिनांक 27.03.2004 को उसे प्राप्त हुआ था। आरोपी ने उसकी पुत्री से उसके सामने मारपीट की थी। घटना की रिपोर्ट पुलिस थाना बिरसा में दर्ज कराई थी। अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित कराये जाने पर साक्षी ने स्वीकार किया है कि समस्त जप्ती की कार्यवाही एवं जप्ती पत्रक प्र.पी.05 एवं 06 के बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर होना स्वीकार किया है। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया है कि उसकी पुत्री का आरोपी के साथ दूसरा विवाह है। पूर्व में उसकी पुत्री का जितेन्द्र नामक व्यक्ति से विवाह हुआ था। साक्षी ने स्वीकार किया है कि आरोपीगण चार भाई हैं जो अलग-अलग रहकर कमाते-खाते हैं। आरोपी भरतलाल शिक्षक है जबकि उसका भाई गौतम भृत्य के रूप में कार्यरत है। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया है कि उसकी पुत्री अधिवक्ता के रूप में नियमित रूप से वकालत करती है। बचाव पक्ष के इस सुझाव को साक्षी ने स्वीकार किया है कि उसकी पुत्री का जितेन्द्र डोंगरे से विवाह विच्छेद नहीं हुआ था।

8— अभियोजन साक्षी पूरनदास अ.सा.04 ने अपने कथन में कहा है कि वह आरोपीगण को जानता है। प्रार्थी उसकी भतीजी है। उसकी भतीजी का विवाह 8 अगस्त

2003 को आरोपी भरतलाल से हुआ था। आरोपी उसकी भतीजी को दहेज की मांग को लेकर प्रताड़ित करता था यह बात उसे उसकी भतीजी ने बताई थी। उसकी भतीजी का विवाह जितेन्द्र डोंगरे से हुआ था। पुलिस ने उसके बयान नहीं लिये थे। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया है कि वह आरोपी के घर कभी नहीं गया था। यह भी स्वीकार किया है कि पुलिस ने उसके कभी कोई कथन नहीं लिये और घटना के विषय में वह न्यायालय में पहली बार बता रहा है। साक्षी ने कहा है कि उसे जानकारी नहीं है कि फरियादी प्रभा सूर्यवंशी ने इससे पूर्व अपने पति जितेन्द्र डोंगरे से पैसे प्राप्त कर राजीनामा कर लिया है। बचाव पक्ष के इस सुझाव को साक्षी ने स्वीकार किया है कि आरोपी भरतलाल शासकीय सेवा में होकर शिक्षक है और उसकी भतीजी वकालत का कार्य करती है। साक्षी ने स्वीकार किया है कि उसके भाई-भाभी एवं भतीजी ने पांच लाख रुपये दहेज में मांगने वाली बात नहीं बताई थी।

9— अभियोजन साक्षी डॉ० व्ही०पी० समद अ.सा.05 ने अपने कथन में कहा है कि वह दिनांक 19.04.2004 को जिला चिकित्सालय बालाघाट में मेडिकल ऑफीसर के पद पर पदस्थ था। इसी दिनांक को आहत प्रभा का बांये हाथ का एक्स-रे किया था और एक्स-रे प्लेट क्रमांक 1287 का परीक्षण किया था। यह एक्स-रे एक्स-रे टेक्नीशियन के०एस० परिहार ने दिनांक 07.04.2004 को लिया था। एक्स-रे परीक्षण करने पर उसने आहत के बांये हाथ के रिंग फिंगर पर मध्य भाग में अस्थिभंग पाया था। एक्स-रे प्लेट आर्टिकल ए-1 है। उसके द्वारा दी गई एक्स-रे रिपोर्ट प्र.पी.07 है जिसके अ से अ भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया है कि उसने आहत का व्यक्तिगत रूप से परीक्षण नहीं किया था। उसने एक्स-रे प्लेट का परीक्षण कर रिपोर्ट बनाई थी। साक्षी ने यह भी कहा है कि वह यह नहीं बता सकता कि एक्स-रे परीक्षण में उल्लेखित चोट कितने दिन पुरानी थी।

10— अभियोजन साक्षी शेख इब्राहिम अ.सा.06 ने अपने कथन में कहा है कि वह दिनांक 11.05.2004 को पुलिस चौकी सालेटेकरी में सहायक उपनिरीक्षक के पद पर पदस्थ था। इसी दिनांक को अपराध क्रमांक 27/04 की केस डायरी विवेचना हेतु प्राप्त होने पर एक अंतरदेशी पत्र प्र.पी.05 अनुसार जप्त किया था जो जप्तीपत्रक के साथ संलग्न है। इसी दिनांक को फरियादी प्रभा सूर्यवंशी एवं भरतलाल सूर्यवंशी का तलाकनामा गवाहों के समक्ष जप्त कर जप्ती पत्रक प्र.पी.06 तैयार किया था जिसके सी

से सी भाग पर उसने हस्ताक्षर किया था। इसके अतिरिक्त उसने साक्षीगण प्रभा सूर्यवंशी, पूरनदास वैध, अंजूलता, इश्वरदास, श्रीमती रेखा रामटेके के कथन उनके बतायेनुसार लेख किया था। आरोपी गौतम एवं सरिताबाई को दिनांक 27.08.2004 को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा प्र.पी.08 एवं 09 गवाहों के समक्ष तैयार किया था जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने बचाव पक्ष के इस सुझाव से इंकार किया है कि उसने गवाहों के कथन अपने मन से लेख किया था एवं जप्ती की कार्यवाही में जप्त किये गये वस्तुओं के विषय में कोई जांच नहीं की थी।

11— अभियोजन साक्षी सुभाष वर्मा अ.सा.07 ने अपने कथन में कहा है कि वह दिनांक 14.04.2004 को थाना बिरसा में आरक्षक के पद पर पदस्थ था। इसी दिनांक को फरियादी प्रभा सूर्यवंशी से दो नग शादी के फोटो, एक नग पत्र कापी के पन्ने पर लिखा हुआ पेश किया गया था जिसे उसके समक्ष सहायक उपनिरीक्षक बसंत ठाकरे के द्वारा प्र.पी.03 के अनुसार जप्त किया गया था जिसके सी से सी भाग पर उसने हस्ताक्षर किया था। प्रतिपरीक्षण में बचाव पक्ष के इस सुझाव को साक्षी ने स्वीकार किया है कि प्र.पी.03 के जप्ती पत्रक में जो वस्तुओं का उल्लेख किया गया है वह वस्तुएं फरियादी ने थाने में प्रस्तुत की थी।

12— अभियोजन साक्षी बसंत ठाकरे अ.सा.08 ने अपने कथन में कहा है कि वह दिनांक 14.04.2004 को थाना बिरसा में सहायक उपनिरीक्षक के पद पर पदस्थ था। इसी दिनांक को अपराध कमांक 27/04 अंतर्गत धारा 498ए, 34 भा.द.वि. की रिपोर्ट प्रभा सूर्यवंशी द्वारा आरोपीगण के विरुद्ध लेख कराई गई थी जो प्र.पी.01 है जिसके ब से ब भाग पर उसने हस्ताक्षर किया था। इसी दिनांक को फरियादी ने स्वयं के विवाह की दो फोटो एवं एक चिट्ठी/पत्र गवाहों के समक्ष पेश की थी, जप्त कर जप्ती पंचनामा प्र.पी.03 बनाया था जिसके डी से डी भाग पर उसने हस्ताक्षर किया था। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया है कि फरियादी द्वारा घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 05.04.2004 को लेख कराई गई। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि थाने में सूचना देने की तारीख दिनांक 14.04.2004 है। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट घटना दिनांक से 09 दिन विलंब से दर्ज कराई गई है। बचाव पक्ष के इस सुझाव से साक्षी ने इंकार किया है कि दबाववश आरोपीगण के विरुद्ध उसने फरियादी के कहने पर झूठी रिपोर्ट दर्ज की थी।

13- आरोपीगण के विरुद्ध 498ए ता धारा 4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अंतर्गत अपराध किये जाने का अभियोग है। फरियादी प्रभा सूर्यवंशी ने कहा है कि आरोपीगण उससे 50 हजार रुपये की मांग कर प्रताड़ित करते थे और इस संबंध में उन्होंने उससे मारपीट की थी। साक्षी ने यह भी कहा है कि मारपीट के पश्चात वह बालाघाट शासकीय अस्पताल में भर्ती रही थी। उसने घटना की रिपोर्ट पुलिस थाना बिरसा में दर्ज कराई थी। प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.01 का अवलोकन किया जावे तो प्र.पी.01 की रिपोर्ट में भी यह लेख है कि 50 हजार रुपये के दहेज की मांग की गई एवं इस कारण फरियादी के साथ मारपीट किया जाना उल्लेखित है। फरियादी ने अपने पिता को दिनांक 23.02.2004 को पत्र लिखा था। यह पत्र अभिलेख में प्र.पी.02 के रूप में प्रस्तुत किया गया है। इस पत्र का अवलोकन किया जावे तो घटना की रिपोर्ट दर्ज किये जाने के पूर्व भी फरियादी ने अपने पिता एवं माता को इस आशय का पत्र लिखा था कि पवन नामक महिला के कारण उसके आरोपी से संबंध अच्छे नहीं चल रहे हैं। बचाव पक्ष का आधार अवश्य यह रहा है कि आरोपी का फरियादी से द्वितीय विवाह है और न्यायालय से उसका पूर्व पति से विवाह विच्छेद नहीं हुआ है। पूर्व पति जितेन्द्र डोंगरे के विरुद्ध फरियादी ने इसी धारा के अंतर्गत प्रकरण दर्ज करवाया और वह पेशे से अधिवक्ता हैं इसलिये उसके द्वारा आरोपीगण को झूठा फंसाया गया है। फरियादी के अधिवक्ता होने से आरोपी उसे दहेज के लिये प्रताड़ित नहीं करता था और उसके द्वारा झूठी रिपोर्ट दर्ज कराई गई है, यह प्रतिकूल धारणा नहीं की जा सकती क्योंकि अभिलेख पर अभियोजन साक्षी प्रभा सूर्यवंशी अ.सा.01, अंजूलता अ.सा.02 एवं इश्वरदास वैध अ.सा.03 ने स्पष्ट कथन करते हुये यह कहा है कि 50 हजार रुपये के रूप में दहेज की मांग को लेकर आरोपीगण मारपीट करते थे और फरियादी प्रभा को प्रताड़ित करते थे।

14- फरियादी प्रभा सूर्यवंशी अ.सा.01 ने यह भी कहा है कि आरोपी ने उसके साथ मारपीट की थी जिसके पश्चात वह शासकीय अस्पताल बालाघाट में दिनांक 05.04.2004 से दिनांक 09.04.2004 तक भर्ती रही थी। इस संबंध में चिकित्सक साक्षी डॉ० व्ही०के० समद अ.सा.05 ने कहा है कि उसने एक्स-रे टेक्नीशियन द्वारा लिये गये एक्स-रे प्लेट की दिनांक 07.04.2004 को परीक्षण कर आहत प्रभा के हाथ की उंगली में अस्थिभंग होना पाया था। इस प्रकार मारपीट में आहत को चोट आई थी इस

बात की पुष्टि चिकित्सीय साक्ष्य से भी हो रही है। उपरोक्त साक्षीगण की साक्ष्य से यह स्पष्टतः प्रकट हो रहा है कि दहेज की मांग को लेकर फरियादी के साथ आरोपीगण द्वारा कूरता कारित की गई थी। यह आवश्यक नहीं है कि आरोपीगण में से कौन आरोपी किस प्रकार से तथा कितनी बार दहेज की मांग करता था जिससे कि फरियादी के साथ कूरता कारित की गई थी यह बात विशिष्टतः अलग-अलग प्रमाणित की जावे। उपरोक्त तथ्य की साक्ष्य को संपूर्णता में गृहण किया जाना ही उचित होगा। इस प्रकार आरोपीगण भरतलाल, गौतम एवं सरिताबाई द्वारा फरियादी प्रभा के साथ दहेज मांगना एवं दहेज की मांग को लेकर मारपीट किया जाना संदेह से परे प्रमाणित हो रहा है। अतः आरोपीगण को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-498ए एवं धारा-4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम का अपराध किया जाना संदेह से परे प्रमाणित पाए जाने से दोषसिद्ध ठहराया जाता है।

15— आरोपीगण द्वारा किये गये अपराध की प्रकृति को देखते हुये तथा इस प्रकार के अपराध से सामाजिक व्यवस्था के प्रभावित होने से आरोपीगण को परिवीक्षा अधिनियम, 1958 के प्रावधानों का लाभ दिया जाना उचित नहीं है। अतः दंड के प्रश्न पर आरोपीगण के विद्वान अधिवक्ता को सुने जाने हेतु निर्णय कुछ देर बाद पुनः प्रस्तुत हो।

(श्रीष कैलाश शुक्ल)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
बैहर, जिला बालाघाट

पुनश्च:-

16— आरोपीगण के विद्वान अधिवक्ता को दंड के प्रश्न पर सुना गया। दण्ड के प्रश्न पर विद्वान अधिवक्ता ने तर्क किया है कि आरोपीगण एवं फरियादी द्वारा अभिलेख पर राजीनामा आवेदन प्रस्तुत किया जा चुका है। उपरोक्त परिस्थितियों में आरोपीगण को निम्नतम दण्ड से दंडित किया जावे।

17. दण्ड के बिंदु पर विचार किया गया। प्रकरण वर्ष 2004 से लंबित है एवं आरोपीगण द्वारा संपूर्ण विचारण के समय अपनी उपस्थिति दर्ज की गई। अभिलेख पर आरोपीगण तथा फरियादी ने राजीनामा आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है जिससे उनके मध्य संबंध सामान्य होना प्रकट हो रहा हैं। ऐसी स्थिति में आरोपीगण को कठोर दण्ड न देकर सांकेतिक दण्ड दिया जाना उचित होगा। अतः आरोपीगण को भा.द.वि. की

(1) धारा—498ए में न्यायालय अवसान अवधि तक का कारावास तथा 500/— रुपये के अर्थदण्ड से दंडित किया जाता है। अर्थदण्ड न चुकाये जाने की दशा में 15 दिवस का सश्रम कारावास भुगताया जावे।

(2) धारा— 4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम में न्यूनतम 06 माह का कारावास का प्रावधान है परन्तु राजीनामा होने से आरोपीगण को न्यूनतम 06 माह का कारावास न देकर न्यायालय अवसान अवधि तक का कारावास तथा 500/— रुपये के अर्थदण्ड से दंडित किया जाता है। अर्थदण्ड न चुकाये जाने की दशा में 15 दिवस का सश्रम कारावास भुगताया जावे।

18— प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति दो नग शादी के फोटो, एक नग पत्र/चिट्ठी कापी के पन्ने मूल्यहीन होने से अपील अवधि पश्चात् नष्ट की जावे। अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार निराकरण किया जावे।

19— प्रकरण में आहत/फरियादी प्रभा सूर्यवंशी को जुर्माने की राशि 3000/—रुपये तीन हजार रुपये में से 1,500/— रुपये प्रतिकर स्वरूप अंतर्गत धारा 357(ख) द.प्र.सं० अपील अवधि पश्चात् प्रदान किया जावे।

20— प्रकरण में आरोपीगण की उपस्थिति बाबद् जमानत मुचलके द०प्र०सं० की धारा 437 (क) के पालन में आज दिनांक से 06 माह पश्चात् भारमुक्त समझे जावेंगे।

21— आरोपीगण न्यायिक अभिरक्षा में निरुद्ध रहे हैं। उक्त के संबंध में धारा 428 द.प्र.सं. के प्रावधानों के अनुसार प्रमाण—पत्र तैयार किया जावे।

22— आरोपीगण को निर्णय की एक—एक प्रति तत्काल निःशुल्क प्रदान की जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व मेरे निर्देशन में टंकित किया गया।
दिनांकित कर घोषित किया गया।

बैहर,
दिनांक—18.07.2016

सही/—
(श्रीष कैलाश शुक्ल)
न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर,
जिला—बालाघाट